झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, एवं प्रशिक्षण विभाग,
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग।

पत्रांक ....आई.टी.आई./अदि 351 **दिनांकः–** 10.11.17

प्रेषक,

नोडल पदाधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरचू/बरही,
हजारीबाग।
–सह–
नियोजन पदाधिकारी,
अवर प्रादेशिक नियोजनाल, हजारीबाग।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
हजारीबाग।

विषय :– आई0 टी0 आई0 में नामांकन हेतु विज्ञापन अपलोड करवाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्यूक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि हजारीबाग जिला के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (बरही)हजारीबाग/चुरचू (हजारीबाग) में शैक्षणिक सत्र–2017–18–2019 में रिक्त सीटो के विरूद्ध नामांकन के लिए द्वितीय साक्षात्कार **Counselling)** की तिथि का विज्ञापन कराने हेतु (भू –हदबंदी) –सह– अध्यक्ष नामांकन समिति से सहमति प्राप्त हुई है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि मेधा सूची एक प्रति एवं एक सी०डी० संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध करना है कि कृप्या इस **www.hazaribag.nic.in** पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक – यथोक्य

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 10.11.17
नोडल पदाधिकारी
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरचू/बरही,
हजारीबाग।
–सह–
नियोजन पदाधिकारी,
(हस्ताक्षर) अवर प्रादेशिक नियोजनाल, हजारीबाग।

झारखण्ड सरकार
श्रम,नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग।

आवश्यक सूचना

हजारीबाग जिला के अन्तर्गत नवनिर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बरही एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चुरचू में सत्र–2017–18–19 के लिए नामांकन के लिए योग्य आवेदकों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार मेधा सूचि के आलोक में द्वितीय साक्षात्कार/Counselling के लिए सूचित किया जाता है।

क्र०सं०	संस्थान	दिनांक	साक्षात्कार का समय	साक्षात्कार का समय
01	ITI बरही	18.11-2017	08:30 – 01:00 PM	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग।
02	ITI चुरचू	18.11-2017	02:00 - 05:00 PM	अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग।

नोट :– (1) निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नही होने पर तथा मैट्रिक अंकपत्र/मूल प्रमाण–पत्र/जन्म तिथि का प्रमाण –पत्र/आवासीय प्रमाण–पत्र/ CLC/SLC, Medical Certificate आदि की मूल प्रतियाँ साथ नही लाने पर नामांकन का दावा रद्ध किया जा सकता है।

(2) सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि मेधा सूची मैट्रिक के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया गया है।

(3) चयन के उपरान्त सभी आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों की प्रति संस्थान में जमा करना आनिवार्य है।

(4) स्वीकृत सूचि एवं रद्ध (कारण के साथ) आवेदकों की सूची www.hazaribagh.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। वे ही आवेदक साक्षात्कार/Counselling में आमंत्रित है जिनका नाम स्वीकृत सूचि में सम्मिलित है।

(5) आवासीय एवं जाति प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुरूप अर्थात आवासीय प्रमाण–पत्र झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/स्थानीय नीति– 14–03/2016 का 4650 दिनांक 2 जून 2016 (संकल्प संख्या– 3198 दिनांक 18.04.2016) के अनुसार बना होना चाहिए।

(6) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र–अराक्षण प्रावधान कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक– 07/ नीति (आरक्षण)– 06/2001 का 5886/राँची दिनांक 21.09.2011 के अनुसार होना चाहिए।

(7) आवेदक का आवेदन स्वीकृत (मेधा सूची) है या अस्वीकृत का अवलोकन अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग में आकर कर सकते है।

(8) इसके लिए आने–जाने का कोई भत्ता/मार्ग व्यय देय नही होगा।

Note .- किसी भी अभ्यर्थी को **Call letter** नहीं भेजा जायेगा।

10.11.17

नोडल पदाधिकारी
औधोगिक प्रशिक्षण
संस्थान,बरही/चुरचू, हजारीबाग
–सह–
नियोजन पदाधिकारी
अवर प्रादेशिक नियोजनालय, हजारीबाग।